रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] नई दिल्ली, बुधवार, मई 21, 1986/वैशाख 31, 1908
No. 194] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 21, 1986/VAISAKHA 31, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पट्रो-रसायन विभाग)

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

नई दिल्ली, 21 मई, 1986

शुद्धि पत्र

का. आ. 274(अ):—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 8 जनवरी, 1986 में प्रकाशित भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग) के आदेश सं. का. आ. 11(अ) पृष्ठ 2 पर सारणी में क्रम संख्या 8 के सामने, स्तंभ 4 में "144" के स्थान पर "114" पढ़ें।

[सं. 9/53/85 डी II]
आर. वि. वैद्यनाथ अय्यर, संयुक्त सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986